न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 290/2023

दायर दिनांक 08.08.2023

निर्णय दिनांक 07.03.2024

उनवान

1. लादू पुत्र गंगा उम्र वयस्क जाति तेली निवासी तेलीखेडा पोस्ट पालदी तहसील व जिला भीलवाडा राज. प्रार्थी

बनाम

1. ऐजी पत्नी श्री लादू जाति तेली उम्र ययरक निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
2. गंगा पुत्री श्री लादू जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज,
3. चांदी बाई पत्नी श्री उगमा जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
4. छोटू पुत्र लादु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
5. तेजू पुत्र लादू जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
6. धापु पुत्री लादू जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
7. नन्दराम पुत्र उगमा जाति तेली उम्र वयरक निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
8. प्रकाश चन्द्र पुत्र उगमा जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
9. पुष्पा पुत्री लादु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
10. राजु पुत्र सुरजमल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
11. रामलाल पुत्र देवा जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
12. लाली पुत्री लादु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
13. सीता देवी पुत्री उगमा जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा भीलवाडा राज.
14. अम्बा लाल दत्तक पुत्र उदा जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
15. इन्द्रमल पुत्र गोकल जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
16. कैलाश पुत्र देवी जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
17. गुलाब देवी पुत्री जगदीश जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
18. देवकिशन शर्मा पुत्र जगदीश जाति शेर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
19. नन्दलाल पुत्र देवी जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
20. पार्वती शर्मा पत्नी श्री जगदीश जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
21. भूरी बाई पुत्री देवी जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
22. भंवरलाल पुत्र लादु लाल जाति शर्मा' निवासी पालडी भीलवाडा राज.
23. मुन्ना बाई पुत्री जगदीश जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
24. मुन्नी बाई पुत्री देबी जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
25. रतन लाल पुत्र उदयलाल जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

26. रामकन्या पुत्री देवी जाति शर्मा निवासी पालडी भीलवाडा राज.
27. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाति शर्मा निवासी पालड़ी भीलवाड़ा
28. सत्यनारायण पुत्र हीरा जाति शर्मा निवासी पालड़ी भीलवाड़ा
29. सम्पतलाल पुत्र देबी जाति शर्मा निवासी पालड़ी भीलवाड़ा
30. सीमा देवी पुत्री जगदीश जाति शर्मा निवासी पालड़ी भीलवाड़ा
31. सोहनी देवी पत्नी स्व0 देबी जाति शर्मा निवासी पालड़ी भीलवाड़ा
32. शान्ता देवी पत्नी श्री प्यारेलाल जाति तेली निवासी तेलीखेड़ा भीलवाड़ा
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी कैलाश चन्द्र सोमानी
अप्रार्थी 17, 18, 20, 23, 30 अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सोनी
अप्रार्थीगण 02 से 13, 16, 19 22, 24 से 29 31, 32 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तेलीखेड़ा प0ह0 पालड़ी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 122 की अभिलिखित आराजियात 445/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2782 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 14, 15, 21 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 17, 18, 20, 23, 30 के जवाब पेश नहीं होने से जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 15 की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण 02 से 13, 16, 19 22, 24 से 29 31, 32 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा तेलीखेड़ा प0ह0 पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 122 की अभिलिखित आराजियात 445/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2782 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा